हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

तृतीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 24

सोमवार, 27 अगस्त, 2018/5 भाद्रपद, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष ने जैसे ही श्री मुकेश अगिन्होत्री, नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने के लिए कहा, श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा- "मेरे पास राजस्थान के समाचार-पत्र की एक कॉपी है। राजस्थान में एक कांड के दौरान लड़की पर लाठीचार्ज हुआ था। समाचार-पत्र के फ्रंट पेज पर जो फोटोग्राफ़ लगी है, यह वहां की है जबकि यहां कहा जा रहा है कि शिमला में लड़की का सिर फटा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है यह बहुत ही निन्दनीय है।"

श्री राकेश पठानिया, सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का नेता प्रतिपक्षए, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहते हुए विरोध किया-"माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको नियम-67 के तहत नोटिस दिया था। हमारे माननीय साथी राकेश पठानिया जी बहुत ही जल्दी में हैं। मुद्दे ऐसे ख़ारिज नहीं हुआ करते जिस ढंग से ये करने का प्रयास कर रहे हैं।"

नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कई चित्र सदन में दिखाए।

2.05 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी करने लगे।

सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर इसके प्रतिरोध में नारेबाजी करने लगे।

दोनों पक्षों की ओर से लगातार नारेबाजी के बीच में माननीय अध्यक्ष ने 2.13 बजे अपराह्न सदन की बैठक 2.30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की।

2.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्हें 4 माननीय सदस्यों श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्रीमती आशा कुमारी, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु और श्री जगत सिंह नेगी की ओर से नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा हेतु कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियम-67 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्ताव में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग करते हुए इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने कहा कि युवा कांग्रेस के लोग प्रदर्शन के पश्चात सरकार को ज्ञापन देना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने बैरिकेड को लाघने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी।

श्री राकेश पठानिया सदस्य ने श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु की बात का उत्तर देने का प्रयास किया जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य पुनः सदन के बीचोंबीच आ गए।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 18 पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 635 से 637, 643 व 645 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 638 से 642 व 644 पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 128 से 145 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्नकाल के तुरन्त बाद माननीय मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन की निंदा करते हुए निम्नलिखित शब्दों में अपनी बात रखी-

"अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा गया और आपने सारे विषयों को लेकर, जिस दिन यह घटना हुई थी, उसके दूसरे ही दिन अपनी व्यवस्था दे दी थी। उसके बावजूद भी मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि उस विषय को अभी तक भी विपक्ष पकड़कर रखे हुए है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात सही हो, इस पर भी मुझे लगता है कि गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।..... अध्यक्ष जी, मुझे सचमुच में इस बात को लेकर बहुत पीड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ सर्कुलेट किए गए और कांग्रेस के कुछ लोगों के माध्यम से वे फोटोग्राफ वायरल भी हुए हैं। यहां तक कि जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए, उनमें एक फोटोग्राफ, जिसका जिक्र यहां पर माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने किया, उसको भी इस प्रकार से दिखाया गया। वह फोटोग्राफ एक महिला का है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक समाचार-पत्र में भी वह फोटोग्राफ छपा है। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि सोशल मीडिया की ऑरिजिनल साइट पर जहां वह फोटो पहले अपलोड हुआ था, उसमें लिखा था कि 'राजस्थान के शहरों में माड़ीपुर पुल पर ऑटो सवार यात्रियों पर भीमसेना ने बरसाई लाठियां'। उसमें वह महिला घायल हुई और उस घायल महिला का फोटोग्राफ यहां पर एक समाचार-पत्र में भी फ्रंट पेज पर लगा दिया।"..... अध्यक्ष महोदय, उनका कहना है कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच के लिए वहां पर डिप्टी कमिश्नर उपस्थित थे। जांच के लिए वहां स्वयं एस0पी0 उपस्थित थे। उसके बावजूद यदि विपक्ष को लगता है कि जांच होने से सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है, रास्ता निकल सकता है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम खुले दिल और खुले मन से काम करने वाले लोगों में से हैं। घटना की वस्तुस्थिति अनुसार दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए मैं यहां पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा करता हूं। उसके साथ में मैं यह आग्रह करता हूं कि इस माननीय सदन का समय बहुत

महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अपनी बात कह ली। जांच की जो रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार कार्यवाही होगी।"

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 27 अगस्त, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव(विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: कार्मिक(नियुक्ति-IV)-बी(1)-01/2016 (पार्ट) दिनांक 12.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.06.2018 को प्रकाशित।

(2) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीं:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: टी0सी0पी0-(बी)2-2/2014(रूल्ज़) एटीपी दिनांक 26.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.11.2017 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, वरिष्ठ योजना प्रारूपकार, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-(बी)2-1/2014 (रूल्ज़) एस.पी.डी. दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.04.2018 को प्रकाशित ।

(3) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, उप-निरीक्षक, मत्स्य वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-15/99-II दिनांक 25.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.06.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति के 61वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(4) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य

विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(6) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने 'Project for Doubling Farmers' Income through Water Conservation' पर वक्तव्य देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने जल संरक्षण द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने की परियोजना बनाकर बाह्य वित्त पोषण हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियन डवलपमैंट बैंक से स्वीकृत करवाई है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4751.24 करोड़ रुपये है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2018 को बिलासपुर केसरी में छपे समाचार शीर्षक **"मुठभेड़ के बाद मिली लोकल पुलिस को सूचना"** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री होशयार सिंह सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"सरकार की पर्यटन नीति पर यह सदन विचार करे।"

4.13 बजे श्री रामेश चन्द ध्वाला, सभापति, पदासीन हुए।

निम्नलिखित ने नियम-30 के अन्तर्गत चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राकेश पठानिया

4.27 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

2. श्री नरेन्द्र बरागटा
3. श्री सुरेश कुमार कश्यप

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा के बीच में सूचना देते हुए बताया कि उन्हें एक आवश्यक बैठक हेतु दिल्ली प्रस्थान करना है, इसलिए वह इस चर्चा का उत्तर 29.08.2018 को देंगे।

नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा जारी -

4. श्री बलबीर सिंह वर्मा
5. डॉ0 (कर्नल)धनी राम शांडिल
6. श्री राकेश सिंघा
7. श्री नरेन्द्र ठाकुर

17.25 बजे सायं उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

8. श्री जगत सिंह नेगी

श्री जगत सिंह नेगी द्वारा चर्चा के उपरान्त सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा केन्द्र से 1892 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लाया गया है।

नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा जारी -

9. श्री किशोरी लाल
10. श्री राजेन्द्र राणा
11. श्री राजिन्द्र गर्ग
12. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
13. श्री सुरेन्द्र शौरी
14. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

6.24 बजे सायं अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

15. श्री विक्रमादित्य सिंह
16. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
17. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

अध्यक्ष महोदय ने श्री होशयार सिंह, सदस्य द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत लाई गई चर्चा के पूर्ण होने तथा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर 29.08.2018 को देने की सूचना दी।

सायंकाल 6.53 बजे सदन की बैठक मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।

(**डॉ0 राजीव बिन्दल**)
अध्यक्ष

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव